भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

म्यूटेशन अपील नं0–13 / 2020–2021
रिचाई हेम्ब्रम एवं अन्य..............................वादी
बनाम्
बाबुलाल हेम्ब्रम ....प्रतिवादी
सोलह आना रैयान मौजा सलैया

–:आदेश:–

08/04/23

अभिलेख उपस्थापित। रिचाई हेम्ब्रम, पिता–स्व0 ठाकुर हेंम्ब्रम, (2). पौलुस हेम्ब्रम, पिता–स्व0 ठाकुर हेम्ब्रम, (3). नेपाली हेम्ब्रम, पिता–स्व0 मक्कु हेम्ब्रम, (4). पॉचु राय, पिता–स्व0 मधु राय (5). नागेश्वर ठाकुर, पिता–स्व0 दशरथ ठाकुर, (6). विनोद हेम्ब्रम, पिता–स्व0 हरि हेम्ब्रम (7). नकुल राय, पे0–स्व0 लक्ष्मण राय (8). मोती लाल मुर्मू पिता–स्व0 दरबारी मुर्मू, (9). दिगम्बर हासदा, पिता–स्व0 रूप नारायण हासदा, सभी साकिन–सलैया, पोस्ट–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के द्वारा लाया गया है। श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का नामान्तरण वाद सं0–70 / 1979–80 में पारित आदेश दिनांक–20.03.1980 के विरूद्ध यह अपीलवाद दाखिल किया गया है। जो 42 वर्षो के बाद किया गया है। जो कालबाधित है।

प्रस्तुत वाद में विपक्षीगण नोटिस पर उपस्थित हुए एवं उपस्थित होकर दिनांक'–18.03.2023 को अपना प्रस्तुत वाद में आवेदन दाखिल कर प्रार्थना किये कि प्रश्नगत नामान्तरण आदेश श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक–20.03.1980 को आदेश पारित किया गया है एवं ऐसी परिस्थिति में उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध प्रश्नगत अपील श्रीमान के न्यायालय में पोष्यनीय नहीं है। एवं खारिज करने योग्य है विपक्षी के द्वारा दाखिल 18.03.2023 के जबाब के पश्चात अपीकर्त्ता द्वारा दिनांक–08.04.2023 को श्रीमान् के यहाँ आवेदन देकर इस अपीलवाद को वापस करने की प्रार्थना करते है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख एवं उसपर उपलब्ध कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता गण द्वारा दिनांक–08.04.2023 को इस आवेदन को वापस कर अपील समाप्त करने की प्रार्थना की गई है।

अतः इस वाद को वापसी आवेदन के आलोक मे अपीलकर्त्ता के द्वारा की गई अपील वाद को आपसी आवेदन को आधार मानते हुए अपील खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया
08.4.23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

08.4.23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.01.08 12:32:16 +05:30
Location: 192.168.137.1